11 02/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी का एक भी प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। प्रतिवादीगण के रजि. सम्मन की वसीय

लगभग दो वर्ष से पैरवी नहीं की गई है। वकील वादी व वादी स्वयं को पुकार-पुकार कर बार-बार आवाज लगाई गई, किन्तु ना ही वादिनी स्वयं एवं ना ही उनके वकील उपस्थित आये।

अतः इस वादपत्र को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajendra